

## वचन—पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पिता \_\_\_\_\_ विभाग में  
 श्री गोविन्दराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्डौर में \_\_\_\_\_ पद पर स्थाई कर्मचारी के रूप में दिनांक \_\_\_\_\_ से कार्यरत हूँ। मुझे संस्थान द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ से प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। मैं यह वचन देता हूँ कि समयमान वेतनमान का लाभ देने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के पश्चात् यदि अंकेक्षक द्वारा भविष्य में अधिक भुगतान संबंधी कोई आपत्ति उठाई गई एवं इस संबंध में संस्थान द्वारा मुझे सूचित किया जाता है तो मैं समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संस्थान द्वारा मुझे अधिक भुगतान की गई राष्ट्रि को संस्थान को पुनः वापस भुगतान कर दूंगा एवं भुगतान करने हेतु कोई हीला-हवाला नहीं करूंगा तथा यह वचन—पत्र मेरे उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रषासकों और समनुदेषितियों पर भी इसी तरह लागू रहेगा। मैंने यह वचन—पत्र पढ़कर, सोच—समझकर आज दिनांक \_\_\_\_\_ को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

हम यह वचन देते हैं कि यदि किसी कारणवश श्री/सुश्री \_\_\_\_\_ (लाभार्थी का नाम) यह भुगतान करने में असमर्थ रहा/रही तो अधिक भुगतान की गई राष्ट्रि तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई राष्ट्रि, यदि कोई हो, तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रषासकों और समनुदेषितियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं। हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राष्ट्रि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग—अलग भू—राजस्व की बकाया राष्ट्रि के रूप में वसूल कर ली जावे।

आज दिनांक \_\_\_\_\_ को हस्ताक्षरित किया गया।

(1) साक्षी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

(2) साक्षी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

(1) प्रतिभूति के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

(2) प्रतिभूति के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

## विकल्प—पत्र

**विषय :— समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के लिये विकल्प**

कार्यालयीन आदेष क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढांचे में उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारण के लिये निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत हैः—

(2 जनवरी से 30 जून के मध्य पात्रता दिनांक होने की स्थिति में)

- (क) वर्तमान वेतनमान दिनांक 01/07/\_\_\_\_\_ को वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के उपरांत उन्नयित वेतनमान में मेरा प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जाए।

अथवा

(1 जुलाई से 31 दिसम्बर के मध्य पात्रता दिनांक की स्थिति में)

- (ख) समयमान वेतनमान दिये जाने की दिनांक को उन्नयित वेतनमान में उच्च ग्रेड में मेरा वेतन पुनर्निर्धारित किया जाए।

हस्ताक्षर

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

## अग्रेषित

विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी